न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1304/2003/भरतपुर

सकवार कोलीयान समाज बयाना जरिये पंचान व प्रतिनिधिः–
1. गोरधन पुत्र चीमा
2. लौहरी पुत्र चीमा
3. सरदारी पुत्र झन्डे
4. लक्ष्मण पुत्र जौहरी

–समस्त जाति सकवार कोलीयान, निवासीगण बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

....**अपीलार्थीगण/वादीगण**

बनाम

1. रामचरन
2. मथुरा

–पुत्रगण हुकमचंद जाति वैश्य निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

....**उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ.एल.दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, उत्तरदातागण।

निर्णय

दिनांकः– 14–01–2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 52/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर बयाना के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम बयाना स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 1868 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 9 बिस्वा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादीगण को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद में अनुतोष सहित 6 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 31–01–2001 पारित करते हुए वाद को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2003 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उन्होंने कहा कि जमाबंदी सम्वत 2042–2045 व प्रदर्श–4 में प्रतिवादी के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात को आधार मानकर वादी के वाद को अपास्त करने में दोनों न्यायालयों ने त्रुटिकारित की है। यहीं नहीं प्रश्नगत रकबे पर प्रतिवादीगण को खातेदार मानकर भूल की है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के बाबत किसी प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है। जबकि वादी ने अपना वाद रेकार्ड में हो रहे प्रतिवादी के इन्द्राजात को आधारित करते हुए ही पेश किया है। आगे बताया कि प्रश्नगत रकबा वादी की खातेदारी की भूमि होकर उनका कब्जाकाश्त है। जिसमें उनके समाज की बगीची व कुआं बना हुआ है व भगवान का चबूतरा बना हुआ है, यहीं नहीं देवता

उका एक थान भी बना हुआ है। उक्त स्थिति से यह संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रश्नगत रकबा सम्वत 2012 के पूर्व से ही वादी समाज के कब्जेकाश्त व खातेदारी का है। आगे बताया कि मामले में विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय तनकीवार पारित किया है जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय बिना विवाद्यक किए पारित किए जाने के कारण आदेश 41 नियम 31 सीपीसी का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि मामले में पेश दस्तावेज यथा अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बयाना द्वासरा प्रकरण संख्या 22/69 प्रदर्श–1, पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18–11–1978 प्रदर्श–2 व रिपोर्ट गिरदावर हल्का दिनांक 21–11–1978 प्रदर्श–3 के अनुसार प्रश्नगत रकबा 9 बिस्वा भूमि पर वादी समाज का काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही कब्जाकाश्त साबित है। किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने निर्णय पारित करने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किए है, वह निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2003 तथा उपजिला कलक्टर बयाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2001 को अपास्त कर वादी के वाद को डिक्री किए जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रियों को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत होना बताया। उनका कथन है कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय के समक्ष 18 पक्षकारान प्रतिस्थापित थे, जबकि ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय के समक्ष केवल मात्र 4 पक्षकार ही संयोजित किए गए है, जबकि विधायिका की भावना के अनुसार समस्त पक्षकारान जो कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही संयोजित थे, उन्हें सभी को पक्षकार प्रतिस्थापित कर अपील पेश की जानी चाहिए थी। उनका तर्क है कि वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त व समुचित प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उनका तर्क है कि मामले में

पटवारी रिपोर्ट का कोई विधिक महत्व नहीं है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने योग्य है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी सम्वत 2042–2045 के अनुसार प्रतिवादीगण की माता गुलकन्दी का नाम कालम संख्या 4 में काश्तकार के रूप में दर्ज है। यानि प्रदर्श–4 के अनुसार प्रतिवादीगण की माता स्वर्गीय गुलकन्दी बेवा हुकमचंद अभिलिखित खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा उसके देहान्त के बाद प्रतिवादीगण आराजी पर काबिज है। वादीगण द्वारा अपने वाद को किसी भी प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है कि आराजी के बाबत कोली समाज का कोई संबंध रहा हो। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य व शपथ पत्र व शिलालेख के आधार पर खातेदारी हकूकों को कलमजन करना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। तदनुसार विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते हुए वादीगण के वाद को खारिज किया है। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर वादीगण/अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर तहत न्यायालय को यथावत रखा है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रदर्श–1 नकल निर्णय दिनांक 05–10–1981 सिविल न्यायालय बयाना, प्रदर्श 2 पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18–11–1978, प्रदर्श–3 गिरदावर हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए है।

8. अपीलार्थीगण की ओर अपर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना द्वारा पारित निर्णय 05–10–1981 प्रदर्श–1 के अनुसार उक्त प्रकरण वक्फ बोर्ड तथा चिरमोली सिंह वगैरहा के मध्य विचारण हुआ था, जिसमें

प्रतिवादीगण की मां गुलकन्दी एवं गोरधन कोलियान पक्षकार संस्थित थे, उक्त प्रकरण में न्यायालय ने वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया है। मामले में प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड व बयनामे के आधार पर भूमि को अपनी होना कथित किया गया है। प्रदर्श–2 रिपोर्ट पटवारी के अनुसार कुएं बने बीजक लगा होना व कोलियान समाज का कब्जा होना बतलाया गया है, लेकिन उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति का अंकन नहीं है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी गुलकंदी देवी धर्मपत्नि हुकमचंद की होना कथित किया गया है। रेकार्ड में भूमि चिरमोली के नाम दर्ज है, जिससे रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी को क्रय करना कथित किया गया है।

9. प्रकरण में यह जांच का विषय है कि प्रदर्श–2 पटवारी रिपोर्ट व प्रदर्श–3 गिरदावर रिपोर्ट व शिलालेख के बाबत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के परिप्रेक्ष्य में सम्यक परीक्षण का अभाव है। इसके अतिरिक्त मामले में लिप्त भूमि चिरमोली को कैसे व किस प्रकार अवधारित हुई है, इस बाबत रेकार्ड का पूर्ण रूप से अभाव है। उक्त तथ्यों की सम्यक जांच के बिना हस्तगत मामले का विधि के परिप्रेक्ष्य में निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत अपील में विधि का प्रश्न निहित होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है तथा प्रकरण को विचारण न्यायालय को उक्त निर्देशों के क्रम में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–02–2003 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पैरा संख्या 9 में किए गए विवेचनानुसार समस्त पक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य